



## मुख्यमंत्री राहत कोष

बिहार

सं :  
दिनांक : 29/2017-

### कार्यालय आदेश

वर्तमान समय में मुख्यमंत्री राहत कोष में विभिन्न माध्यमों से Offline (चेक/ड्राफ्ट) Donation का धन्यवाद पत्र एवं दान रसीद विहित प्रारूप में मैन्युअली भेजे जाने की प्रक्रिया की जटिलताओं को देखते हुए दानदाताओं से प्राप्त चेक/ड्राफ्ट के विरुद्ध धन्यवाद पत्र सह दान रसीद भेजने हेतु इस प्रक्रिया को सरल बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

2. तदालोक में विचारोपरांत मुख्यमंत्री राहत कोष में Offline (चेक/ड्राफ्ट) प्राप्त दान की राशि का Online Software पर इंट्री कर निर्धारित प्रारूप पर दानदाताओं को धन्यवाद पत्र सह दान रसीद प्रेषित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित लेखा पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है।

3. इस प्रस्ताव में प्रधान सचिव का आदेश प्राप्त है।

ह०/-

(इन्द्रवीर कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 29/2017..... दिनांक .....

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(इन्द्रवीर कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 29/2017..... दिनांक .....

प्रतिलिपि : लेखा पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को धन्यवाद पत्र सह दान रसीद की निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर लेखा पदाधिकारी आई0टी0 मैनेजर से सम्पर्क करेंगे।

ह०/-

(इन्द्रवीर कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 29/2017..... दिनांक .....

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को [www.cmrf.bih.nic.in](http://www.cmrf.bih.nic.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित एवं लेखा पदाधिकारी के तकनीकी समस्याओं का निराकरण आई0टी0 मैनेजर द्वारा किया जायेगा।

ह०/-  
31.10.17

(इन्द्रवीर कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी